

## प्ररूप—4

(देखिए नियम 19)

नामांकन पत्र

गुरुद्वारा समिति का निर्वाचन

(प्रस्तावक द्वारा भरा जाना है)

मैं इसके द्वारा समिति के वार्ड ..... से निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में ..... नामांकित करता हूँ।

1. प्रस्तावक का पूरा नाम
2. वार्ड की निर्वाचन नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या जिसमें उम्मीदवार को ..... के निर्वाचन के लिए नामांकित किया जा रहा है तथा थाना या पटवार सर्कल ..... नगर ..... का नाम।
3. उम्मीदवार के पिता/पति का नाम .....
4. उम्मीदवार का सम्पूर्ण डाक पता .....
5. निर्वाचक नामावली पर वार्ड जिसका उम्मीदवार निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है .....
6. वार्ड की निर्वाचक नामावली पर उम्मीदवार की संख्या जिसमें वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है ..... तथा थाना या पटवार सर्कल ..... नगर ..... का नाम।

\*प्रस्तावक के हस्ताक्षर

दिनांक .....

\* अंगूठा निशान सहित हस्ताक्षर

**टिप्पणी—**यह नामांकन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा यदि उसे या तो व्यक्तिगत रूप में या उसके प्रस्तावक द्वारा या उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मजिस्ट्रेट, उप-रजिस्ट्रार, सरपंच, नम्बरदार या विधायक या स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित लिखित प्राधिकार द्वारा नियुक्त किसी एजेंट द्वारा विहित समय के भीतर रिटर्निंग अधिकारी या उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उसके कार्यालय में सौंपा नहीं जाता है।

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है)

[घोषणा]

मैं, उपरोक्त वर्णित उम्मीदवार इस नामांकन की स्वीकृति देता हूँ तथा इसके द्वारा घोषणा करता हूँ—

- (क) कि मैंने ..... वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;
- [(ख) कि मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 (2014 का 22) की धारा 10 में परिगणित किन्हीं अपात्रताओं से ग्रस्त नहीं हूँ]
- (ग) कि मेरे द्वारा चुना गया प्रतीक निम्न अनुसार अधिमान के क्रम में है,—
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)

दिनांक .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या .....

यह नामांकन उम्मीदवार/प्रस्तावक/विधिवत् प्राधिकृत एजेंट द्वारा (दिनांक) ..... को ..... बजे  
(समय) मेरे कार्यालय में मुझे दिया गया था।

दिनांक .....  
.....

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय।

मैंने उम्मीदवार तथा प्रस्तावक की पात्रता की संवीक्षा की हैं तथा पाया गया है कि वे निर्वाचन के लिए खड़ा होने तथा नामांकन का प्रस्ताव करने के लिए क्रमशः अईक हैं तथा इसलिए नामांकन स्वीकृत किया जाता है;

या

मैंने इस नामांकन की संवीक्षा की है तथा निम्नलिखित कारणों से इसे अस्वीकार किया जाता है :—

दिनांक .....  
.....

नामांकन की संवीक्षा करने वाले  
अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक ..... है।  
.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नामांकन पत्र के लिए रसीद तथा संवीक्षा का नोटिस

(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपी जानी है)

समिति के वार्ड ..... से निर्वाचन के लिए

उम्मीदवार ..... के नामांकन पत्र की नामांकन पत्र क्रम संख्या .....  
उम्मीदवार/प्रस्तावक/विधिवत् प्राधिकृत एजेंट द्वारा (दिनांक) ..... को ..... बजे (समय) मेरे कार्यालय में मुझे दिया गया था। सभी नामांकन पत्र (स्थान) ..... पर (दिनांक) ..... को (समय) ..... बजे ..... में संवीक्षा हेतु लिए जाएंगे।

दिनांक .....  
.....

रिटर्निंग अधिकारी